कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर)जालोर

मोवनी कुमारी पुत्री
टीकारामजी सुथार
पीपली चौक
भीनमाल 343029

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी पदेन
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कार्यालय जिला कलेक्टर,जालोर

प्रकरण संख्या **34/2017**

अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

....

उपस्थिति:-
प्रार्थी की ओर से कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से श्री नरेश बुनकर (ए.डी.एम)
सुनवाई दिनांक 25.10.2017 आदेश दिनांक 25.10.2017

आदेश

दिनांक:-25.10.2017

1. उक्त अपील अपीलार्थी मोवनी कुमारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर, भीनमाल द्वारा कतिपय सूचनाए प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 द्वारा चाही गई सूचनाएं / आवेदन पर विनिश्चयन प्राप्त नहीं होने पर धारा 19 (1) में प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा धारा 19 (1) के अन्तगत प्रस्तुत अपील में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है:-

2.1. *यह है कि लोक प्राधिकारी(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर)के द्वारा धारित सूचना को प्रमाणित प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत विहित आवेदन फीस के पेटे दस रूपये का भारतीय पोस्टल आंर्डर संख्या 35 एफ 848865 के साथ संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 21.08. 2017 को राज्य लोक सूचना अधिकारी पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर समक्ष रजिस्टर्ड डाक के जरिये विधिवत प्रस्तुत किया गया था।*

2.2. *यह है कि भारतीय डाक विभाग की वेबासाइट https//www.indiapost.gov.in/ पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित रजिस्टर्ड डाक संख्या RR 888725278IN दिनांक 21.08. 2017 उपरोक्त वर्णित राज्य लोक सूचना अधिकारी पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर को दिनांक 22.08.2017 को प्राप्त हुई है।*

बिन्दु संख्या 2.1 व 2.2. के क्रम में यह तथ्यात्मक विवरण है एवं इसकी पुष्टि में प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017, पोस्टल आर्डर के अधपन्ने एवं रजिस्ट्री रसीद भी प्रस्तुत की गई है। अत: सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होती है।

2.3. *यह है कि उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 पर कोई विनिचिश्यन आज दिनांक तक अपीलार्थी (आवेदक) को प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 पर ना ही " राज्य लोक सूचना अधिकारी (state public*

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

information officer) " से और ना ही लोक प्राधिकारी (Public authority) से कोई विनिश्चय अपीलार्थी आवेदक को आज दिनांक तक प्राप्त हुआ है।

प्रार्थिनी के आवेदन को लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर) द्वारा अपने पत्रांक/ 905 दिनांक 29.08.2017 से अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल को स्थानान्तरित किया गया है एवं इसकी सूचना प्रार्थी को भी पत्र क्रमांक 906 दिनांक 29.08.2017 द्वारा दे दी गई है।। अत: उक्त बिन्दु के तथ्य सही नहीं होने से अपील खारिज योग्य है।

2.4... यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 की उप धारा (1)के अनुसरण में इस प्रथम अपील को रजिस्टर्ड डाक के जरिए आपके समक्ष विधिवत प्रस्तुत की गई है।

तथ्यात्मक बिन्दु है। जिस पर कोई विनिश्चयन अपेक्षित नहीं है।

2.5.. यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 की उपधारा (6)में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 में चाही गई कतिपय सूचना अपीलार्थी आवेदक को अभिप्राप्त नही होने की दशा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 की उप धारा (3)के अनुसरण में राजस्थान सूचना आयोग मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की जायेगी जिसकी तमाम जिम्मेदारी आपकी एवं उक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पदेन उपखंड अधिकारी भीनमाल की रहेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी / अपीलार्थी द्वारा अनेको आवेदन सूचना के अधिकार के तहत इसी प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी (उप खंड अधिकारी,भीनमाल), लोक सूचना अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल) एवं लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के समक्ष पेश किए गये है। उनका आवेदन मूलत: लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के समक्ष प्रस्तुत किया था। अत: इसके सबंध में लोक सूचना अधिकारी (उप खंड अधिकारी,भीनमाल) का दायित्व कैसे होगा, समझ से परे है। संभवत: अत्यधिक आवेदनो के कारण अन्य आवेदन के तथ्य इस अपील में अंकित कर दिए गए है। साथ ही इससे प्रार्थिनी का उप खंड अधिकारी, भीनमाल के प्रति पूर्वा ग्रह भी परिलक्षित होता है । जहां तक द्वितीय अपील करने का प्रश्न है, यह अपीलार्थी का अधिकार है एवं उसके लिए किसी की जिम्मेदारी का विनिश्चयन माननीय सूचना आयोग द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। अत: प्रार्थिनी द्वारा यह उल्लेखित किया जाना अवांछनीय व अप्रसांगिक है। अत: इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन नहीं किया जा रहा है।

अत: प्रार्थिनी की प्रथम अपील, उपरोक्त अनुसार बिन्दुवार विवेचन के आलोक में अपील खारिज की जाती है। उक्त आदेश की द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(एल.एन.सोनी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर